न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—33/2016/223 (2016/00033)

1. श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नि धनराज शर्मा, जाति राकावत ब्राहमण, निवासी मकान नंबर 210—बी, आदर्श नगर, गलीी नंबर 1 अजमेर रोड़, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र गोमा,
2. श्रीमती मीरा पुत्री गोमा,

दोनों जाति रावत, निवासी ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

वादीगण/**रेस्पोडेंटस**

3. प्रकाश पुत्र करमा,
4. सुमेर पुत्र करमा,
5. श्रीमती गंगा पत्नि स्व0 करमा,
6. पप्पूसिंह पुत्र स्व0 करमा नाबा0जरिये कुदरती माता श्रीमती गंगा पत्नि स्व0 करमा,
7. जफरू पुत्र जीता,
8. बीरमा पुत्र बाला,
9. छीतर पुत्र घीसा,
10. शंकर पुत्र घीसा,
11. किशनी पुत्री घीसा,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम सिंघाड़िया, तह0 ब्यावर, जिला अजमे ।

12. गेन्दी पुत्री अमरा, जाति रावत, नि0 ग्राम अतीतमण्ड, गोल का खेड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
13. किशना पुत्र शेरा (फौत)
14. पदमा पुत्र रूपा (फौत)
15. नन्दा पुत्र झूझां (मृतक) जरिये वारिसानः—

15/1— श्रीमती कमला पुत्र नन्दा,
15/2— श्रीमती बिदामी पुत्री नन्दा,
15/3— श्रीमती सीता पुत्री नन्दा,
15/4— श्रीमती लाली पुत्री नन्दा,

समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तह0 ब्यावर हाल नि0 सिधाडिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

16. महादेवसिंह पुत्र नाथूसिंह,
17. श्रीमती प्रेम पत्नि महादेव,

दोनों जाति रावत, नि0 मूलचंद नगर, गोविन्दपुरा, ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

18. मंगलसिंह पुत्र गोपालसिंह,
19. रामेश्वरसिंह पुत्र गोपालसिंह,
20. भंवरसिंह पुत्र गोपालसिंह,
21. रूपसिंह पुत्र गोपालसिंह,
22. हुकमसिंह पुत्र गोपालसिंह,

समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम बिच्छुचोड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

23. गोविन्द प्रसाद पुत्र गंगाप्रसाद कायस, नि0 ठीकराना मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (फौत)

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 31.7.2012 अंतर्गत वाद संख्या 126/2008.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री पंकज गादिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 11, 16, 17 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—5.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 24 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त खाता संख्या 30 आराजी खसरा संख्या 205 रकबा 2—6—.00, खसरा नंबर 138 रकबा 1—16—00, खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 25 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 135 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 136 रकबा 3—01—10, खसरा संख्या 137 रकबा 3—3—00, खसरा संख्या 139 रकबा 1—14—00, खसरा संख्या 729 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 731 रकबा 2 बिस्वा, खाता संख्या 315 खसरा नंबर 140 रकबा 2—14—00, खसरा संख्या 728 रकबा 1—4—00, खसरा संख्या 134 रकबा 01—02—00, खसरा संख्या 204 रकबा 2—4—10 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाके ग्राम ठीकराना महेन्द्रातान तह0 ब्यावर में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजियात के वादीगण रिकार्डेड सहखातेदार है । वादीगण एवसं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजियात के बंटवारा एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के हिस्से की आराजी पर कब्जा 70 वर्षो से अधिक होने से खातेदारी का अवसान होने से उनके इंद्राज हफज किया जावे । वादीगण के 1/8 हिस्से का बंटवारा कर, राजस्व अभिलेख में इंद्राज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2011 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 31.7.2012 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 उपस्थित, शेष रेस्पो0 3 से 11, 16, 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रार्थिया को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 140 रकबा 2—14—00, खसरा संख्य 134 रकबा 1—2—00, खसरा नंबर

204 रकबा 2–4–10 में से वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा एवं वाद में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 15 नंदा पुत्र झूंझा ने अपना 1/4 हिस्सा एवं खसरा संख्या 728 रकबा 1–4–00 वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा ने 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2008 को किया था । उक्त विक्रयपत्रो के आधार पर प्रार्थिया क्रयशुदा आराजियात की खातेदार काश्तकार है । वादीगण ने प्रार्थीया की पीठ पीछे प्रार्थिया के हितां के विरूद्ध आदेश पारित करवाया है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में से प्रार्थीया का नाम हजफ करने के आदेश से प्रार्थिया के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । प्रार्थिया अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट वाद में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार नियुक्त नहीं कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है । अपीलांट अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं होने से निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.12.2015 को पटवारी हल्का के पास राजस्व अभिलेख की प्रति लेने गई तब हुई तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी कर, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट जो कि विवादित आराजियात का क्रेता होकर आवश्यक पक्षकार था, को वाद में पक्षकार कायम किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित आराजी खाता संख्या 315 के खसरा संख्या 140 रकबा 2–14–00, खसरा संख्या 134 रकबा 1–2–00, खसरा संख्या 204 रकबा 2–4–10 में से वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा एवं वादी में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 15 नन्दा पुत्र झूंझा ने अपना 1/4 हिस्सा एवं खसरा संख्या 728 रकबा 1–4–00 में वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा ने 1/4 हिस्सा में से अपना 2/3 हिस्सा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2008 को अपीलांट को किया था किन्तु वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में उक्त तथ्य को छिपाते हुए अधी0न्याया0 को गुमराह कर दिनांक 14.7.2018 को अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा में निर्णय व प्राथमि डिक्री पारित करवाई है तथा इस एकतरफा डिक्री के आधार पर दिनांक 31.7.2012 को अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद में लिप्त आराजियात में से कुछ आराजी का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व बैचान किया जा चुका है इस बाबत् तयि अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली पर आने के उपरांत भी अधी0न्याया0 द्वारा मौजूदा खातेदारान को वाद में पक्षकार बनाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की । वादीगण द्वारा खातेदारी आराजी का बेचान किये जाने के बाद उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये थे तथा उन्हें विक्रयशुदा आराजी बाबत् वाद प्रस्तुत करने का

कोई अधिकार नहीं था । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 की डिक्री की पालना इजराय में स्वयं पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 11.9.2012 एवं इजराय की कार्यवाही के दौरान बैचानशुदा आराजी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा निर्णय एवं डिक्री में लिप्त आराजी का बैचान पूर्व में किया जा चुका है तथा क्रेता के पक्ष में नामांतकरण दर्ज है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उपरोक्त मौका रिपोर्ट को नजरअंदाज कर अपीलाधी निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपीलांट की क्रयशुदा आराजी की हद तक निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2001 आर0आर0टी0 (1) पेज 15 को उद्धरित किया । ।

7. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 में कथन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित आराजी खाता संख्या 315 के खसरा संख्या 140 रकबा 2–14–00, खसरा संख्या 134 रकबा 1–2–00, खसरा संख्या 204 रकबा 2–4–10 में से वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा एवं वादी में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 15 नन्दा पुत्र झूंझा ने अपना 1/4 हिस्सा एवं खसरा संख्या 728 रकबा 1–4–00 में वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा ने 1/4 हिस्सा में से अपना 2/3 हिस्सा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2008 को अपीलांट को किया था किन्तु वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में उक्त तथ्य को छिपाते हुए अधी0न्याया0 को गुमराह कर दिनांक 14.7.2018 को अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित करवाई है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2008 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खाता संख्या 315 के खसरा संख्या 140 रकबा 2–14–00, खसरा संख्या 134 रकबा 1–2–00, खसरा संख्या 204 रकबा 2–4–10 में से वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा एवं वादी में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 15 नन्दा पुत्र झूंझा ने अपना 1/4 हिस्सा एवं खसरा संख्या 728 रकबा 1–4–00 में वादी संख्या 1 नारायणसिंह, वादी संख्या 2 श्रीमती मीरा ने 1/4 हिस्सा में से अपना 2/3 हिस्सा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2008 के द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया है । उक्त विक्रय पत्र की पालना में राजस्व रिकार्ड में क्रेता अपीलांट का नाम दर्ज भी किया जा चुका है जिसकी पुष्टि जमाबंदी से होती है । वादीगण द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किये जाने के बावजूद इन्हीं भूमियों के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वाद में अपीलांट/क्रेता जो कि आवश्यक पक्षकार थी उसे पक्षकार बनाये बिना तथा अधी0न्याया0 को गुमराह कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है । चूंकि अपीलांट विवादित भूमि की सद्भाविक क्रेता होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट को पक्षकार कायम किये बिना एकतरफा में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है

जिससे अधी0न्याया0 के उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना पूर्णतया प्रकट होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोक से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.12.2011 को पारित की गई थी तथा उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.12.2011 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में अपील संख्या 34/20016/223 (2016/00034) बउनवान श्रीमती कान्ता शर्मा बनाम नारायणसिंह व अन्य पेश की थी जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 8.4.2019 द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.12.2011 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया है । चूंकि हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.12.2011 के आधार पर पारित की गई है । जब प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.12.2011 निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है तो उसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा स्वतः ही निष्प्रभावी होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

12. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 8.12.2011 निरस्त योग्य होने से हम प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना वाद में अपीलांट को पक्षकार नियुक्त कर अधी0न्याया0 द्वारा वाद का पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है।

13. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.7.2012 को खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 5.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर